19/11/19	पत्रावली पेश हुई/वकील उपस्थित। P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त/प्रशिक्षण पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/12/19 को पेश हो।
9/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार, धोद व [illegible] प्राप्त हुई। अप्रार्थी [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 13/12/19 को पेश हो।
13/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के साक्ष्य में देवीदत्त, [illegible], धन्नालाल व शीशपाल के शपथ पत्र साक्ष्य हेतु पेश किये गये। अप्रार्थी वकील प्रार्थी कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17/12/19 को पेश हो।
17/12/19	पत्रावली वास्ते बहस हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। बहस तकमील हुई गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31-12-19 को पेश हो।
31-12-19	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

देवीदत्त
हेमाराम
धन्नालाल
शीशपाल
[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा:– प्रार्थना–पत्र / 76 / 2019

देवीदत्त जांगिड उम्र 65 वर्ष पुत्र बिड़दाराम जाति जांगिड़, निवासी हरदयाल बस्ती ग्राम सबलपुरा, तहसील धोद जिला सीकर(राज.)

–प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, तहसील धोद जिला–सीकर राज.

–अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थिति–

श्री भागीरथ सिंह ढाका, वकील प्रार्थी की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 31.12.2019

01. वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सबलपुरा तहसील धोद जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा सं. 618 रकबा 0.0100 हेक्टेयर गै.मु. कुआ, खसरा सं. 619 रकबा 1.8800 हेक्टेयर, खसरा सं. 620 रकबा 0.0700 हेक्टेयर अवस्थित है। उक्त आराजियात के 1/3 हक हिस्से का प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार, काश्तकार है। उक्त खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम देबू राम पुत्र बिड़दा राम सहवन से अंकित हो गया। प्रार्थी का वास्तविक नाम देवीदत्त जांगिड़ पुत्र बिड़दा राम ही है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात यथा चुनाव पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम देवीदत्त जांगिड़ पुत्र बिड़दा राम ही अंकित है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा सं. 618 रकबा 0.0100 हेक्टेयर गै.मु. कुआ, खसरा सं. 619 रकबा 1.8800 हेक्टेयर, खसरा सं. 620 रकबा 0.0700 हेक्टेयर वाके ग्राम सबलपुरा तहसील धोद जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम देबूराम पुत्र बिड़दा राम के स्थान पर देवीदत्त जांगिड़ पुत्र बिड़दा राम जांगिड़ अंकित किया जावें।

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, धोद से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांक/भू.अ./3762 दिनांक 28.11.2019 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी ने साक्ष्य में स्वयं, छगनलाल व घीसासिंह के शपथ–पत्र पेश किये, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य के रूप में दस्तावेजात आदि की प्रतिलिपि भी पेश की, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
धोद म. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

03. बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के कथनों को दोहराकर मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

04. बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न राशनकार्ड, सैकण्डरी शिक्षा प्रमाण--पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास–बुक में प्रार्थी का नाम देवीदत्त पुत्र बिड़दाराम अंकित है। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के अनुसार "प्रार्थी सही नाम देवीदत्त है तथा देबूराम व देवीदत्त एक ही व्यक्ति है। राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से जरिये विरासत देबूराम अंकित हो गया है, जिसके स्थान पर देवीदत्त किया जाना उचित है।" तहसीलदार की रिपोर्ट की पुष्टि पत्रावली में संलग्न ग्राम पंचायत के प्रमाण–पत्र व साक्ष्य में प्रस्तुत छगनलाल व घीसासिंह के शपथ–पत्रों से होती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों, तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट व साक्षियो के शपथ–पत्र के अनुसार प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सबलपुरा तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 618 रकबा 0.0100 हेक्टेयर गै.मु. कुआ, खसरा सं. 619 रकबा 1.8800 हेक्टेयर, खसरा सं. 620 रकबा 0.0700 हेक्टेयर में प्रार्थी का नाम देबूराम पुत्र बिड़दाराम के स्थान पर देवीदत्त जांगिड़ पुत्र बिड़दाराम जांगिड़ किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुख्यालय सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.01.06 14:32:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: